

अल्पकालीन निविदा सूचना

जलकल विभाग, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा निविदा प्रणाली के माध्यम से सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए सुरक्षा उपकरण की आपूर्ति हेतु अल्पकालीन मुहरबन्द निविदा दिनांक ०२/०६/२३ को अपराह्न ३:०० बजे तक जलकल विभाग मे रखे निविदा बाक्स मे आमंत्रित की जाती है। धरोहर धनराशि एन०एस०सी०/राष्ट्रीकृत बैंक के एफ०डी०आर० के रूप में मान्य होगी जो महाप्रबन्धक जलकल नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक होगी। निविदा की नियम एवं शर्तें नगर निगम, गोरखपुर की वेबसाइट [www.nagarnigamgkp.org](http://www.nagarnigamgkp.org) पर भी उपलब्ध हैं। कार्य का विवरण निम्नवत है :-

निविदा प्रकाशन की तिथि		२३/०५/२०२३		
निविदा खरीदने की तिथि		२३/०५/२०२३ को १० बजे से ०१/०६/२०२३ को १२ बजे तक		
निविदा खोलने की तिथि		०२/०६/२०२३ अपराह्न ३:०० बजे तक		
क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (GST सहित)	निविदा मूल्य (GST सहित)	धरोहर धनराशि
१.	सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई कर्मियों हेतु सुरक्षा उपकरण (Multi Gas Detector, Breathing Apparatus, Safety Belts and Harnesses, Helmet Face shield, & attached Light)	6,92,597.00	1180.00	70,000.00

**निविदा की प्रमुख शर्तें :**

- दिनांक २३/०५/२०२३ को प्रकाशित निविदा मे आमंत्रित आपूर्ति कार्यों के लिए मोहरबन्द निविदा नगर निगम के उपयुक्त श्रेणी मे ठेकेदारों से नगर निगम गोरखपुर के जलकल विभाग मे रखे निविदा बाक्स मे प्राप्त की जायेगी, एवं निविदा पंजीकृत डाक से भी प्रेषित की जा सकेगी। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा दर प्रतिशत मे नियत फार्म पर देनी होगी। निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। शर्तयुक्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है, जो कि निविदा प्रपत्र मूल्य का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट लेखाधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष मे निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- धरोहर धनराशि एन०एस०सी०/राष्ट्रीकृत बैंक के एफ०डी०आर० के रूप में मान्य होगी जो महाप्रबन्धक जलकल नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक होगी। उक्त के अतिरिक्त आन्य किसी रूप मे जमानत की धनराशि मान्य नहीं होगी। कोई रिफरेन्स अथवा संयुक्त जमानत धनराशि मान्य नहीं होगी तथा स्थानीय राष्ट्रीकृत बैंकों अथवा पोर्ट ऑफिस द्वारा ही जारी जमानत धनराशि (एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०) संलग्न की जाये ताकि सत्यापन मे कोई असुविधा न हो।
- आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की २ वर्ष की गारंटी/वारंटी पूर्ण रूप से दी जायेगी।
- सामग्री की आपूर्ति के साथ सभी सेफ्टी उपकरण CPHHEO नार्मस मे भारत राजकार द्वारा सर्टिफाईड प्रमाण पत्र देना होगा।
- निविदा की दर अंकों व शब्दों मे स्पष्ट रूप से निर्धारित रथान पर अंकित होगी चाहिए। शब्दों में अंकित न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी। दर अंकित करते समय "कम" अथवा "अधिक" शब्द का उल्लेख होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अंकों तथा शब्दों में उल्लेखित दर की भिन्नता पाये जाने एवं निर्धारित रथान पर निविदादाता द्वारा दर अंकित न करने की स्थिति में निविदा अवैध एवं अमान्य करते हुए लिफाफा बन्द कर दिया जायेगा। निविदा दरें ओवर आल परसेन्टेज बेसिस पर ही मान्य होगी।

...../2


7. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु निविदा प्रपत्र के मूल्य के साथ डाक व्यय का भुगतान नकद/मनीआर्ड--परा करना होगा।
8. डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्हीं निविदाओं पर विचार किया जायेगा जो नियत अधिकों के अन्दर प्राप्त होंगी।
9. निविदा पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।
10. निविदा प्राप्त करने की तिथि में यदि कोई अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त एवं खोली जायेगी।
11. निविदा की वैधता निविदा पड़ने की तिथि से 06 माह तक होगी।
12. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए निविदादाता का कोई कर्तृता मान्य नहीं होगा।
13. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यह तथ्य रांझान में आता है कि निविदादाता द्वारा किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा एवं फर्म को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
14. निविदा के साथ ठेकेदार को नवीनीकरण/पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा जो ठेकेदार जिस श्रेणी में पंजीकृत है उसकी निविदा मात्र उसी श्रेणी के लिए मान्य होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के नवीनीकृत/पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु अधिकृत हैं। निविदा प्रपत्र के साथ जमा रखी अथवा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
15. निविदा के साथ निविदा विक्री की रसीद मूल रूप से संलग्न करना होगा, जिसे ठेकेदार को स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करना होगा।
16. निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह कार्य किसी अन्य एजेन्सी से पूर्ण करालें तथा इस प्रक्रिया में जो निगम को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त करके पूर्ण कर लिया जायेगा।
18. निविदादाता जी०एस०टी० एवं आयकर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
19. फर्म/ठेकेदार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म/ठेकेदार कही किसी भी रास्तारी/अर्द्धरास्तारी सरथा में पिछले 05 वर्ष में ब्लैक लिस्टेड नहीं रही हो।
20. किसी वाद की दशा में न्याय क्षेत्र गोरखपुर नगर होगा।
21. निविदा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर करनी होगी।
22. निविदादाता को दरें जी०एस०टी० सहित भरना होगा।

  
महाप्रभुसिंह (जलकल)  
नगर निगम, गोरखपुर।

  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, गोरखपुर।

**प्रतिलिपि :** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. टेण्डर समिति, नगर निगम, गोरखपुर।
2. प्रभारी अधिकारी विज्ञापन नगर निगम, गोरखपुर।
3. सहायक अभियन्ता (जल), नगर निगम, गोरखपुर।
4. नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।

  
महाप्रभुसिंह (जलकल)  
नगर निगम, गोरखपुर।